

प्रेस नोट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दिनांक 01.08.2022

अपहरण की धमकी देकर फिरौती मांगने वाले 03 अभियुक्तों को चिलुआताल पुलिस ने किया गिरफ्तार

थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 274/2022 धारा 384 भादवि जिसमें अभियुक्तगण द्वारा फोन करके सरकारी कर्मचारी से बीस लाख रुपये मांगना तथा न देने पर उनकी बेटी को किडनैप कर लेने की धमकी देने, की घटना के अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी कैम्पिंग के कुशल पर्यवेक्षण में प्रदीप शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में टीम गठित कर सर्विलांस सेल गोरखपुर की मदद से अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु लगातार पता रसी सुराग रसी किया जा रहा था। इसी क्रम में आज दिनांक 01.08.2022 को उ0नि0 अभय कुमार उपाध्याय मय हमराह का0 मनोज सोनकर, का0 धर्मेन्द्र यादव, व का0 दुर्गेश मिश्रा (स्वाट टीम गोरखपुर) के साथ क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर की प्राप्त सूचना के क्रम में नकहा ओवरब्रिज कासिंग के पास से तीन अभियुक्त 1. अरूण पुत्र रामस्वरूप निवासी घनसोलपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर 2. शिवम सिंह पुत्र रणधीर सिंह निवासी पिपलीजाट राजोपुर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर 3. कपिल कुमार पुत्र बिजेन्द्र सिंह निवासी हरिनगर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त मोबाइल के साथ नकहा ओवरब्रिज कासिंग से दिनांक 01.08.2022 को समय करीब 10.45 बजे गिरफ्तार किया गया। जिन्हे न्यायिक अभिरक्षा हेतु माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है।

अपराध विवरण/अभियुक्तगण से पूछताछ —

अभियुक्तगण से पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि अभियुक्त शिवम सिंह, वादी मुकदमा का सगा भांजा है, जिसके पास कर्ज होने के कारण, कर्ज चुकाने व पैसे की लालच में अपने साथियों कपिल व अरूण के साथ मिलकर वादी मुकदमा से अज्ञात नम्बर द्वारा जरिये दूरभाष 20 लाख रुपये की फिरौती मांगा गया था तथा न देने पर बेटी को किडनैप कर लेने की धमकी दिया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

1. अरूण पुत्र रामस्वरूप निवासी घनसोलपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
2. शिवम सिंह पुत्र रणधीर सिंह निवासी पिपलीजाट राजोपुर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर,
3. कपिल कुमार पुत्र बिजेन्द्र सिंह निवासी हरिनगर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

गिरफ्तारी का स्थान व समय:-

नकहा ओवरब्रिज कासिंग, दिनांक 01.08.2022 समय करीब 10.45 बजे

बरामदगी का विवरण:—

एक अदद मोबाईल फोन वीवो कम्पनी का नीले बैक कबर, IMEI NO.86096005846683

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 274/22 धारा 384 भादवि थाना चिलुआताल गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. प्रदीप शर्मा, प्रभारी निरीक्षक थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अभय कुमार उपाध्याय, थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
3. का0 मनोज सोनकर, थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
4. का0 धर्मेन्द्र यादव, थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
5. का0 दुर्गेश मिश्रा (स्वाट टीम गोरखपुर)